

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 517
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राजस्थान में ग्रामीण योजनाओं के लिए निधि

517. श्री राहुल कस्वां:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निधियों को किन कार्यकलापों के लिए व्यय किया गया था;

(ख) राजस्थान में पंचायत स्तर पर वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं का , विशेषकर चुरू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों , विशेषकर चुरू और हनुमानगढ़ जिलों के नोहर और भादरा उप-खंड मुख्यालय में पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं में किसी अनियमितता की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) राजस्थान के उप-मंडल मुख्यालयों , विशेषकर चुरू और हनुमानगढ़ जिले को अब तक आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों , जिसमें राजस्थान के चुरू और हनुमानगढ़ जिले भी शामिल हैं , में समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमएवाई-जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण

स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी को कम करना और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना , तथा न्यूनतम गारंटीकृत नियोजन प्रदान करके स्व-नियोजन को बढ़ावा देकर युवाओं को विविध , विभिन्न उपयोगी व्यवसायों और उद्यमिता गुणों में कौशल प्रदान करके बुनियादी ढांचा ढांचे का विकास , वृद्धि और सामाजिक सहायता की व्यवस्था कर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों के लिए राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित/जारी निधि का विवरण, जहाँ भी उपलब्ध है, इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

योजना/कार्यक्रम	जारी/आवंटित निधि		
	वि.व. 2022-23	वि. व. 2023-24	वि. व. 2024-25
मनरेगा योजना	9662.99	8671.62	7581.87
पीएमएवाई-जी	2157.52	67.57*	1239.90*
पीएमजीएसवाई	199.90	404.79	450.46
डीएवाई-एनआरएलएम	247.45	247.45	302.45
डीडीयू-जीकेवाई	0.00	0.00	28.9
आरएसईटीआई	13.23	12.18	0.00
एनएसएपी	621.76	305.20	608.67
डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0	0.00	74.33	211.64

(*पीएम-जनमन सहित)

(ग) से (ड): शिकायत निवारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। मंत्रालय में सीपीग्राम्स या अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को शिकायत के निवारण और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया जाता है , और यह रिपोर्ट शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मंत्रालय को प्रदान की जाती है। हालाँकि, मनरेगा योजना के तहत केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

(सीपीग्राम्स) पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हनुमानगढ़ जिले के नोहर और भादरा उप-खंड मुख्यालयों से कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं और चुरू जिले से 3 शिकायतें प्राप्त हुईं। ऐसी सभी शिकायतों को राज्य सरकार को जांच कराने और विस्तृत अनुपालन कार्रवाई करने के लिए भेजा गया।

जहां तक राजस्थान के उप-मंडल मुख्यालयों के लिए आवंटित और उपयोग किए गए धन के विवरण का संबंध है , यह मंत्रालय ऐसे डेटा का रखरखाव नहीं करता है। हालाँकि , ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित की जाती है , जिनमें राजस्थान राज्य भी शामिल है , जो आगे संबंधित जिलों/स्थानीय निकायों को वितरित करते हैं। इसलिए , यह मंत्रालय किसी भी उप-मंडल मुख्यालय जिनमें चुरू और हनुमानगढ़ जिले भी शामिल हैं , को निधि का सीधे आवंटन नहीं करता है।
